

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

सेवामें,

पत्रांक २०६२ / १४-१(४४६९९ / २०२०)दिनांक: अलीगढ़:जनवरी: १०, २०२२

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-१९८०,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी० ०३ (चैनेज-२.२४३) की बांयी पटरी खसरा संख्या-१० पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.०६९७७७ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यूपी०/एप्रोच/४४६९९/२०२०

सन्दर्भ:-

प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के पत्रांक-१८०१/१४७१, दिनांक २१.१२.२०२१

कृपया उपरोक्त विषयक जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी० ०३ (चैनेज-२.२४३) की बांयी पटरी खसरा संख्या-१० पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.०६९७७७ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव का प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस के सन्दर्भित पत्र से संस्तुति सहित इस कार्यालय में ०४ प्रति में उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रशनगत प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस की संस्तुति के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित ०३ प्रतियों में मय पैनड्राईव के संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक- /दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड आई०ओ०सी० भवन ६५/२ संजय प्लेस आगरा-२८२००२ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/44699/2020

1.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी 0 03 (चैनेज-2.243) की बायीं पटरी खसरा संख्या-10 पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। नहीं
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट-2 में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 10.01.2022

स्थान:- अलीगढ़।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

7 D/Dman/land trans/hathras/44699 of 2020